राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(35)नविवि / 3 / 2011 जयपुर, दिनांकः 15 NOV 2022

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.07.2011 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.08.2011 द्वारा ब्यावर शहर के नगरीय क्षेत्र में 50 राजस्व ग्रामों को शामिल किया जाकर विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 द्वारा ब्यावर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ब्यावर के नगरीय क्षेत्र में शामिल किए गए राजस्व ग्रामों का विभाजन उपरान्त उक्त अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 04 नए राजस्व ग्राम सृजित हो जाने के कारण निम्नलिखित 04 राजस्व ग्रामों को पूर्व अधिसूचित 50 ग्रामों की निरंतरता में ब्यावर नगरीय क्षेत्र में जोडा जाता है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
51.	सिरोला	SIROLA
52.	भीलातों का बाडिया	BHILATON KA BADIA
53.	छापरों का बाडिया	CHHAPRON KA BADIA
54.	शम्भूपुरा	SHAMBHUPURA

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
8. आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 15/11/2022 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव